— 1

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

क्र. 6545/NREGS-MP/NR-6/2010 भोपाल, दिनांक 30/06/2010

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला – .... म. प्र. (समस्त 50 जिलें)

विषयः सामाजिक अंकेक्षण कार्य का प्रतिवेदन बाबत्।
संदर्भः कार्यालयीन पत्र क्र. 5457/MGNREGS-MP/NR-6/2010 भोपाल, दिनांक 28/05/2010

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार सामाजिक अंकेक्षण का कार्य ग्रामसभा के द्वारा किया जा रहा है। सामाजिक अंकेक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह योजना के तहत पारदर्शिता और समुदाय की सहभागिता का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए आवश्यक है कि कार्य का संचालन प्रभावी स्वरूप में हो। ग्रामसभा में अधिक से अधिक ग्रामीण जन शामिल हों। ग्रामसभा के निर्णयों पर प्रभावी कार्रवाई हो। कार्रवाई के विवरणों की वेबसाइट पर उचित रूप से प्रविष्टि हो। इस हेतु सामाजिक अंकेक्षण कार्रवाई की प्रतिवेदन व्यवस्था (Reporting System) पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। प्रतिवेदन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाये :–

1. ग्रामसभा के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी को M.I.S. प्रविष्टि की जानकारी दी जाए। ताकि प्रविष्टि के लिए आवश्यक जानकारी का संकलन प्रारूप अनुसार हो। नोडल अधिकारी सामाजिक संपरीक्षा समिति सदस्यों को प्रभावी प्रशिक्षण दे सके। समिति उसके दायित्वों, अधिकारों का प्रभावी उपयोग कर सके।

2. प्रत्येक ग्रामसभा की बैठक के उपरांत उसी दिन नोडल अधिकारी से ग्रामसभा की कार्रवाई पर संक्षिप्त टीप प्राप्त की जाए जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सत्यापित अभिलेखों की संख्या, प्राप्त शिकायतों की संख्या, उन पर की गई कार्रवाई और ग्रामसभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों को विवरण दें। इसके साथ ही यदि कोई

उल्लेखनीय घटना/प्रकरण प्राप्त होता है, तो उसका विवरण भी शामिल करें।

3. उक्त प्रतिवेदन का जनपद पंचायत स्तर पर पंचायतवार संकलन किया जाए और तत्काल ई–मेल द्वारा जिला एवं परिषद मुख्यालय को प्रेषित किया जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

29/6/10

(शिवशेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ. क्र6546/NREGS-MP/NR-6/2010 भोपाल, दिनांक30/06/2010

प्रतिलिपि :–

1. संभागायुक्त संभाग (समस्त) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त (विकास) संभागायुक्त कार्यालय संभाग (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/10

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद